

पत्रांक-06/ EV (प्रोत्साहन राशि)-15-12/2024

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक—

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित **“बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023”** हेतु कुल-4,00,000/- (चार लाख) रु0 मात्र निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत ।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं०-47 के अन्तर्गत राज्य स्कीम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

क्र०	योजना शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय उपबंध (रूपया में)	इस आदेश द्वारा स्वीकृत राशि (रूपया में)
1	2	3	4
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00- लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपन्न कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी	20.00 करोड़	4,00,000/-

2. इस राशि को जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद को आवंटित किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा यह राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
3. जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-810, दिनांक-15.07.2025 के आलोक में आवंटित इस राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा संबंधित लाभुकों को किया जायेगा।
4. इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
5. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. वित्त विभागीय पत्रांक-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन संचिका सं०-03/चार्जिंग स्टेशन-09-29/2021 के पृष्ठ-83/टि० पर मद सं०-01 के रूप में दिनांक-05.12.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

₹0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद / जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद / जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद / प्रशाखा पदाधिकारी-03, परिवहन विभाग, बिहार, पटना / आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 337

पटना, दिनांक :- 08/8/2025

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक-06/ EV (प्रोत्साहन राशि)-15-12/2024

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" हेतु कुल-4,00,000/- (चार लाख) रू० मात्र निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं०-47 के अन्तर्गत राज्य स्कीम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

क्र०	योजना शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय उपबंध (रूपया में)	इस आदेश द्वारा स्वीकृत राशि (रूपया में)
1	2	3	4
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00- लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड--47--3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी	20.00 करोड़	4,00,000 / -

- इस राशि को जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद को आवंटित किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा यह राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-810, दिनांक-15.07.2025 के आलोक में आवंटित इस राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा संबंधित लाभुकों को किया जायेगा।
- इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- वित्त विभागीय पत्रांक-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन संचिका सं०-06/चार्जिंग स्टेशन-09-29/2021 के पृष्ठ-83/टि० पर मद सं०-01 के रूप में दिनांक-05.12.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

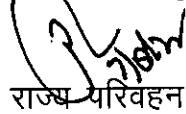
ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 337

पटना, दिनांक :- 08/8/2025

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद / जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद / जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद / प्रशाखा पदाधिकारी-03, परिवहन विभाग, बिहार, पटना / आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-06/ EV (प्रोत्साहन राशि)-15-12/2024 337

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-08/8/2025

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" हेतु कुल-4,00,000/- (चार लाख) रू0 मात्र निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं0-47 के अन्तर्गत राज्य स्कोम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

क्र0	योजना शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय उपबंध (रूपया में)	इस आदेश द्वारा स्वीकृत राशि (रूपया में)
1	2	3	4
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी	20.00 करोड़	4,00,000/-

- इस राशि को जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद को आवंटित किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा यह राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-810, दिनांक-15.07.2025 के आलोक में आवंटित इस राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा संबंधित लाभुकों को किया जायेगा।
- इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- वित्त विभागीय पत्रांक-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन संचिका सं0-06/चार्जिंग स्टेशन-09-29/2021 के पृष्ठ-83/टि0 पर मद सं0-01 के रूप में दिनांक-05.12.2023 को प्राप्त है।

विवेकसभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

